इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 5 दिसम्बर, 2020 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
विनियामकों के कथन ----------6
आर्थिक संवेष्टन ----------7
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

2 से 4 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक की मुख्य विशेषताएँ

मौद्रिक नीति समिति की 4थी बैठक 2 दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित की गई। उक्त बैठक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार रहीं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 4% पर अपरिवर्तित।
- प्रतिवर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 3.35% पर अपरिवर्तित।
- बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) 4.25% पर अपरिवर्तित।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का 4% रखना होगा।
- जनवरी, 2021 से संपर्क-रहित कार्ड भुगतानों की सीमाएं 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी जायेँगी।
- सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) शीघ्र ही 24x7 उपलब्ध कराई जाएगी।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लाभांश वितरण के लिए एक मानदंड का लागू किया जाना। बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी बैंकों में जोखिम-आधारित लेखा-परीक्षा की शुरूआत किया जाना।
- वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा लाभों को प्रतिधारित किया जाना और वित्त वर्ष 21 के लिए लाभांशों का भुगतान न किया जाना।

- आपातकालीन ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ECLGS) योजना की भांति ही सदा-सुलभ टिल्ट्रो (TLTRO) को अन्य दबावग्रस्त क्षत्रों तक विस्तारित किया जाना।

व्हाट्स-अप को यूपीआई में क्रियाशील किए जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का अनुमोदन प्राप्त

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने फेसबुक-समर्थित संदेश-प्रेषण सेवा व्हाट्स-अप को बहु-बैंक माडल में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) में क्रियाशील किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। व्हाट्स-अप को अपने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ प्रयोक्ता आधार को एक श्रेणीबद्ध रीति से विस्तारित करने की अनुमति दे दी गई है। प्रारंभ में उसे अधिकतम 20 मिलियन पंजीकृत प्रयोक्ता आधार की अनुमति प्रदान की गई है। 1 जनवरी, 2021 से कोई अन्य पक्ष अनुप्रयोग कुल जितनी संख्या में लेनदेनों को संसाधित कर सकता है उस हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा (आवर्ती आधार पर) पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान संसाधित लेनदेनों के कुल परिमाण के 30% तक सीमित कर दिया गया है।

आईबीबीआई द्वारा निरुद्ध आस्तियों एवं कर्जों के हस्तांतरण की अनुमति देकर मामलों के शीघ्र समापन पर ज़ोर

परिसमापन प्रक्रिया के शीघ्र समापन को सुगम बनाने के पक्ष में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षम बोर्ड (IBBI) ने किसी परिसमापक को सहज वसूली के अयोग्य आस्तियों अथवा निरुद्ध (illiquid) आस्तियों को अन्य पक्षों को सौंप देने की अनुमति देते हुये नियम जारी किए हैं। परिसमापन प्रक्रिया के पूरी होने तक प्रतीक्षा करने के अनिच्छुक किसी लेनदार के मामले में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षम बोर्ड ने उसे प्राप्य किसी ऋण/कर्ज को कानून के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने अथवा हस्तांतरित करने में समर्थ बना दिया है। किसी व्यक्ति को इस प्रकार का हस्तांतरण एक ऐसी पारदर्शी विधि से किया जाना होगा जो कारपोरेट देनदार के दिवाला समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र हो। परिसमापक के आस्तियों को सौंपने में

विफल रह जाने पर वह असमापित (undisposed) आस्तियों को न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ हितधारकों में वितरित कर सकता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ संशोधित दिशानिर्देशों के तहत बैंकों के साथ सह- उधार दे सकती हैं : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के बैंकिंग सेवा से वंचित और अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों को आवास वित्त कंपनियों (HFCs) सहित सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ सह-उधार देने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस प्रकार की सह-उधार व्यवस्था बैंक के किसी प्रवर्तक समूह के साथ नहीं की जा सकती।

उक्त सह-उधार माडेल के अधीन बैंकों को उनके वैयक्तिक ऋणों के अपने हिस्से को अपनी बहियों में दुतरफा (back to back) आधार पर लेना होगा, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उनके वैयक्तिक ऋणों का कम से कम 20% हिस्सा उनकी बहियों में प्रतिधारित करें। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछेक शर्तों के अधीन ऋण के अपने हिस्से के लिए प्राथमिकता प्राप्त हैसियत का दावा कर सकते हैं।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी नीतियाँ तैयार करनी होंगी जिनके आधार पर उन दोनों के बीच एक मास्टर करार हस्ताक्षरित किया जाएगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ग्राहकों के लिए एकल बिन्दु अंतरापृष्ठ होगी तथा वह उधारकर्ता के साथ ऋण करार करेगी। उक्त करार में इस व्यवस्था की विशेषताओं एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और बैंकों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। उधारकर्ता से उस ऋण पर निगरानी रखने और उसे वसूल करने हेतु एक ढांचा तैयार करने के लिए (दोनों ही ऋणदाताओं को स्वीकार्य) एक सर्व-
समावेशी ब्याज दर वसूल की जाएगी। किसी सह-ऋणदाता द्वारा किसी अन्य पक्ष को किसी ऋण का समनुदेशन केवल दूसरे ऋणदाता की सहमति से ही होगा।

सह-ऋणदाताओं को किसी उधारकर्ता द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास दर्ज कराई गई किसी शिकायत का समाधान करने हेतु 30 दिनों के भीतर एक समुचित व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न होने पर उधारकर्ता को उस शिकायत को संबन्धित बैंकिंग लोकपाल/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक शिक्षण एवं संरक्षण कक्ष तक ले जाने की अनुमति होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान समाकलकों को अतिरिक्त निलंब लेखा रखने की अनुमति दी

जोखिम को विशाखीकृत करने और व्यवसाय निरंतरता से जुड़ी चिंताओं का निराकरण करने के लिए अपने पूर्ववर्ती विनियमों को आशोधित करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने अब पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) जारीकर्ताओं तथा भुगतान समाकलकों (PAs) को उस लेखे के अलावा जहां उन्होंने पहले से ही एक विद्यमान लेखा खोल रखा है, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास एक अतिरिक्त निलंब (escrow) लेखा रखने की अनुमति दे दी है। इसके पूर्व ये संस्थाएं/कंपनियाँ केवल एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास कोई निलंब लेखा रख सकती थीं।

पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं और भुगतान समाकलकों को एक निलंब लेखे से दूसरे लेखे में जमा और नामे अंतरण सम्पन्न करने की अनुमति होगी। हालांकि, अंतर निलंब अंतरणों से यथा संभव बचा जाना चाहिए तथा यदि ऐसे लेनदेन किए जाते हैं तो लेखा-परीक्षक के प्रमाणन में उसका सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

कृष गोपालकृष्णन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का "वित्तीय क्षेत्र के लिए नवोन्मेष हब"

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए एक नवोन्मेष हब का गठन किया है जिसमें सेनापति (कृष) गोपालकृष्णन उक्त संस्था की अधिशासी परिषद के अध्यक्ष होंगे।

गोपालकृष्णन टेक महारथी इन्फोसिस के सह-संस्थापक और अध्यक्ष रहे हैं। रिजर्व बैंक के नवोन्मेष हब अर्थात आरबीआईएच का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को विस्तारित करने की दिशा में वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों तक पहुँच को बढ़ावा देने पर ध्यान संकेन्द्रण के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का नवोन्मेष हब वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, प्रौद्योगिकी उद्योग एवं शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा। यह विचारों के आदान-प्रदान और वित्तीय नवोन्मेष से संबन्धित आदि प्रारूपों (prototypes) के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में समन्वय लाएगा। शीर्ष बैंक फिंटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा नवोन्मेषकों एवं स्टार्ट-अपों के साथ संपर्क को भी सुगम बनाएगा।

विनियामकों के कथन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अधिक अंशांकित विनियामक ढ़ाचा आवश्यक

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव वित्तीय स्थिरता को परिरक्षित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन उतनी ही कठोरता से किए जाने के पक्ष में हैं जितनी बैंकों के बारे में बरती जाती है। वे आगे के उपाय के रूप में ''संबन्धित संस्थाओं/कंपनियों के प्रणालीव्यापी महत्व से समानुपातिक अधिक अंशांकित एवं श्रेणीबद्ध विनियामक ढांचे'' की वकालत करते हैं। श्री राव के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था से वित्तीय क्षेत्र ''सुदृढ़ एवं आघात-सह बनेगा जिसमें अधिसंख्यक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हल्के विनियमन वाले ढांचे'' के तहत कार्य जारी रखने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो प्रणालीगत जोखिम की दृष्टि से न तो महत्वपूर्ण हैं न ही अपने आकार एवं जटिलता में अत्यधिक छोटे हैं, को प्राप्त विनियामक अंतरपणन को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है।

आर्थिक पुनरुत्थान आशा से अधिक सुदृढ़ है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास यह कहा है कि पहली तिमाही में

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 23.9% का एक तीव्र संकुचन और दूसरी तिमाही में गतिविधि में अत्यधिक तीव्र गति से सामान्यीकरण दिखाई देने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनरुत्थान में आशा से अधिक वृद्धि प्रदर्शित किया है। हालांकि वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और भारत के कुछ भागों में कोविड-19 में हाल के उछाल की पृष्ठभूमि में दूरदर्शिता एवं सावधानी बरते जाने की सलाह भी देते हैं।

अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखने के महत्व पर पर बल देते हुये गवर्नर ने कहा कि निरंतर दो तिमाहियों में चालू खाते की अधिशेष शेषराशियों द्वारा समर्थित भारत की विदेशी मुद्रा की सहज स्थिति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाहों की पृष्ठभूमि में पोर्टफोलियो पूंजी के पुनरारंभ तथा विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का अविरत जमावडा हाल के महीनों में आघात-सहनीयता के मुख्य स्रोत रहे हैं।

आर्थिक संवेष्टन (wrap up)

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक आर्थिक पुनरीक्षण से कुछ मुख्य उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

- डिजिटल लेनदेन : नवंबर, 2020 में एकीकृत भुगतान लेनदेन मूल्य की दृष्टि से 3.91 लाख करोड रुपए और परिमाण की दृष्टि से 221 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गए। आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS) ने वित्तीय समावेशन को देश के अत्यंत दूर-दराज वाले भागों तक पहुंचा दिया है जिससे देश डिजिटल भुगतानों में समर्थ हो गया है। एटीएमों, सूक्ष्म एटीएमों तथा बैंकिंग संपर्कियों से नकदी आहरणों से मांग की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी का पता चलता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : अप्रैल-सितंबर, 2020 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह 39.93 बिलयन अमरीकी डालर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया जो 2019-20 की पहली छमाही (36.05 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में 10.8 प्रतिशत अधिक रहा। यह वैश्विक निवेशकों में अधिमान्य निवेश स्थल के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है।

- अमरीकी डालर की दर में उतार-चढ़ाव : विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक की डालर खरीदियों ने रुपए को 73.8-74.7 रुपए/अमरीकी डालर की दर पर श्रेणीबद्ध रखा तथा उसने बाँड़ों के प्रतिफलों को सीमित रखते हुये सोने के प्रारक्षित भंडार और विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि करते हुये बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाया।
- ऋण वृद्धि : चलनिधि संवर्धन के फलस्वरूप समग्र वृद्धिशील ऋण में बढ़ोतरी। आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ECLGS) जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ ऋण संवितरण को निरंतर समर्थन प्रदान करती आ रही है।
- सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी : भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक सहूलियत एवं चलनिधि निषेचन की पृष्ठभूमि में सरकारी और कारपोरेट दोनों ही के लिए निधियों की लागत में कमी आई, जिससे ऋण बाज़ारों के विविध खंडों में प्रतिफलों में कमी आई। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में भी कमी आई जो 29 अक्तूबर 2020 को 5.91 से घटकर 27 नवंबर, 2020 को 5.84 हो गया।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 नवम्बर, 2020 के दिन बिलियन रुपए	27 नवम्बर, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4257257	574821
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951006	533455
(ख) सोना	260651	35192
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11069	1,494
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	34532	4679

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.21600	0.24700	0.27900	0.32450	0.40740
जीबीपी	0.03480	0.0599	0.1002	0.1465	0.1924
यूरो	-0.51000	-0.520	-0.524	-0.503	**-0.473**
जापानी येन	-0.03750	-0.038	-0.038	-0.034	-0.025
कनाडाई डालर	0.73000	0.549	0.600	0.683	0.768
आस्ट्रेलियाई डालर	0.08800	0.090	0.108	0.181	0.261
स्विस फ्रैंक	-0.72000	-0.743	-0.719	-0.675	-0.615
डैनिश क्रोन	-0.15080	-0.2297	-0.2315	-0.2316	-0.2141
न्यूजीलैंड डालर	0.06800	0.020	0.025	0.060	0.120
स्वीडिश क्रोन	-0.04100	-0.028	-0.005	0.033	0.073
सिंगापुर डालर	0.18400	0.220	0.285	**0.390**	0.483
हांगकांग डालर	0.47000	0.460	0.490	0.545	0.610
म्यामार	1.85000	1.840	1.920	2.020	2.120

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

सहज वसूली के अयोग्य आस्ति (Not readily realizable asset)

सहज वसूली के अयोग्य आस्ति परिसमापन सम्पदा में शामिल कोई भी ऐसी आस्ति होती है जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से बेचा नहीं जा सकता। इसमें आकस्मिक या विवादग्रस्त आस्तियां और ऐसी आस्तियां शामिल होती हैं जिनके अधिमान्य, अल्प-मूल्यांकित, अतिशय ऋण तथा कपटपूर्ण लेनदेनों के लिए कार्यवाहियाँ जारी हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

लेखांकन प्रतिलाभ दर (ARR)

लेखांकन प्रतिलाभ दर (ARR) प्रारम्भिक निवेश लागत की तुलना में किसी निवेश

अथवा आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ की प्रतिशत दर का प्रतिबिम्बन करती है।
लेखांकन प्रतिलाभ दर का सूत्र वह अनुपात या प्रतिलाभ ज्ञात करने के लिए जो कोई व्यक्ति उस आस्ति अथवा संबन्धित परियोजना के जीवनकाल में प्राप्त करने की आशा कर सकता है, किसी आस्ति के औसत राजस्व को कम्पनी के प्रारम्भिक निवेश द्वारा विभाजित करता है। लेखांकन प्रतिलाभ में मुद्रा के कालिक मूल्य अथवा उन नकदी प्रवाहों पर विचार नहीं किया जाता, जो किसी व्यवसाय को चलाने के अभिन्न अंग हो सकते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसम्बर, 2020 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	14 से 16 दिसम्बर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा हेतु कार्यक्रम	17 से 18 दिसम्बर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित (मुंबई)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पुनरसंरचन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों एवं सहकारी बैंकों के लिए अग्रिम	17 से 19 दिसम्बर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित (मुंबई)
धन-शोधन निवारण/अपने ग्राहक को जानिए पर कार्यक्रम	18 से 19 दिसम्बर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित (चेन्नै)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पुनरसंरचन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अग्रिम	21 से 23 दिसम्बर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित (मुंबई)
ऋण जोखिम प्रबंधन पर बल सहित बैंकों में जोखिम प्रबंधन	28 से 29 दिसंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित (दिल्ली)

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- 8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित की गईं।
- परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाएगी।
- परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जाएगा।

इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र परीक्षाएँ

संस्थान द्वारा तैयार किए गए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार डिप्लोमा/प्रमाणपत्र परीक्षाएँ प्रयोगात्मक रूप से जनवरी, 2021 में आयोजित की जाएंगी। उक्त कार्यक्रम कोविड-19 की स्थितियों के अधीन है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

सूक्ष्म एवं स्थूल शोध प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2020-21 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/स्थूल शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2021 है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी।

व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों (credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के

अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक ऐसा पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था।

इस पारस्परिक मान्यता करार को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन

नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- अक्तूबर-दिसंबर 2020 - चैलेंजेस एंड अपारचुनिटीज़ ड्यू टू कोविड 19 फार क्रेडिट इंटर्मीडियरीज
- जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया
- अप्रैल - जून, 2021 - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग- न्यू नार्मल
- जुलाई - सितंबर, 2021 - इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मॉनिटरी एंड फिस्कल

पालिसीज - सब थीम्स : रेग्यूलेतारी फ्रेमवर्क, मॉनिटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क

- अक्तूबर - दिसंबर, 2021 - इन्टरनेशनल फाइनैन्सियल सेण्टर्स
- जनवरी – मार्च, 2021 – इफेक्टिव रिसोल्यूशन आफ स्ट्रेस्ड असेट्स

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

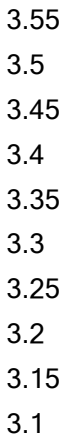

जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज लेटर नवम्बर, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

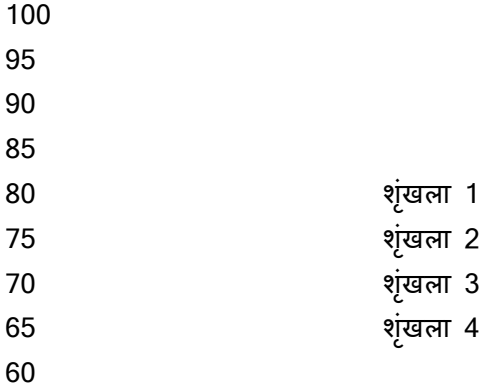

जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020

स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

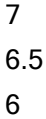

5.5
5

मई, 2020, जून, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

47000.00
42000.00
37000.00
32000.00
27000.00

जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
10.5
9.5
8.5
7.5

मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड नवम्बर, 2020

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन दिसम्बर, 2020